फोन नंबर– 0522–2238083
फैक्स नंबर–0522–2235303

सुनील कुमार
सचिव

अ0शा0प0सं0–**131**/पीएस/स0बे0/12
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ दिनांक : 08 जून, 2012

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि शैक्षिक सत्र 2012–13, 02 जुलाई, 2012 से प्रारम्भ हो रहा है। शैक्षिक सत्र के आरम्भ होते ही परिषदीय विद्यालयों के समस्त विद्यार्थियों को **निःशुल्क पाठ्य–पुस्तके उपलब्ध कराया जाना** प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।

इस दिशा में बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा आवश्यक तैयारी की जा रही है और प्रथम चरण में भाषा (हिन्दी, विज्ञान, गणित) की समस्त पाठ्य पुस्तके **10 जून 2012** तक जनपदों में प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध करा दी जायेंगी। अवशेष समस्त पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति **दिनांक 30 जून 2012 तक** सभी जनपदों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। जनपदों में प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली समस्त पाठय पुस्तकों का सत्यापन प्रत्येक दशा में दिनांक 20 जून 2012 तक करा लिया जाना है और द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली पाठ्य पुस्तकों का सत्यापन 10 जुलाई 2012 तक कराया जाना आवश्यक है। तदुपरान्त संलग्न पाठय पुस्तकों के समयबद्ध आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित कराएँगे।

ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को दिनांक **05 जुलाई** एवं **20 जुलाई, 2012** को समारोह पूर्वक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का

वितरण सुनिश्चित कराया जाना है। कार्य पुस्तिकाओं का वितरण दिनांक **30 जुलाई, 2012** को कराया जाए।

आपसे यह भी अनुरोध है कि मुद्रकों/प्रकाशकों को प्रस्तावित व्यवस्था में दी गयी समय सारणी के अनुसार देय धनराशि के भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त समय सारणी के अनुसार सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी की होगी। निर्धारित तिथियों पर पाठ्य पुस्तकों के वितरण का पर्यवेक्षण जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से भी कराया जाना उपयुक्त होगा। इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता दिया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सम्पादित करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत करें तथा समय-समय पर इस व्यवस्था का स्वयं अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुनील कुमार)

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

संख्या व तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

भवदीय,

8.6.12

(सुनील कुमार)

शैक्षिक सत्र 2012–13 में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के समयबद्ध आपूर्ति एवं वितरण हेतु व्यवस्था

1. पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की व्यवस्था

- निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति दो चरणों में की जा रही है। प्रथम चरण में भाषा (हिन्दी), विज्ञान एवं गणित की समस्त पाठ्य पुस्तकें **दिनांक 10 जून, 2012 तक** जनपदों में आपूर्ति होंगी।
- इस व्यवस्था के फलस्वरूप कक्षा 1–2 के सभी विद्यार्थियों को समस्त पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो जायेंगी। कक्षा 3, 4 एवं 5 के सभी विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो जायेंगी तथा कक्षा 6, 7 एवं 8 के सभी विद्यार्थियों को 30 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो जायेंगी।
- शेष बची हुई समस्त पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति **दिनांक–30 जून, 2012** तक होगी।

2. पाठ्य पुस्तकों के सत्यापन की व्यवस्था

- प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली भाषा (हिन्दी), विज्ञान एवं गणित की समस्त पाठ्य पुस्तकों का सत्यापन प्रत्येक दशा में **दिनांक–20 जून, 2012 तक** पूर्ण कर दिया जाये।
- द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली शेष समस्त पाठ्य पुस्तकों का सत्यापन प्रत्येक दशा में **दिनांक–10 जुलाई, 2012 तक** सुनिश्चित किया जाये।

3. पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था

प्रथम चरण :–

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली भाषा (हिन्दी), विज्ञान एवं गणित की समस्त पाठ्य पुस्तकों को दिनांक–23 जून, 2012 तक ब्लाक संसाधन केन्द्रों अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा चिह्नित भण्डार स्थल तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी:–
  - ✓ **दिनांक–20 जून, 2012 तक** अपने विकासखण्ड/ नगर क्षेत्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को पाठ्य पुस्तकों के निर्धारित सेट उपलब्ध कराने के लिए रूट चार्ट तैयार करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
  - ✓ **दिनांक–20 जून, 2012 तक** निर्धारित रूट के अनुसार पाठ्य पुस्तकों को विद्यालयों तक भेजने के लिए आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था करेंगें।
  - ✓ **दिनांक–28 जून, 2012 तक** 30 सितम्बर, 2011 की छात्रसंख्या के अनुसार विद्यालयवार पाठ्य पुस्तकों के सेट तैयार करेंगे।

- ✓ दिनांक–1 जुलाई, 2012 तक अपने विकासखण्ड/ नगर क्षेत्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भाषा (हिन्दी), विज्ञान एवं गणित की समस्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायेंगे।
- ✓ समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **दिनांक–5 जुलाई, 2012** को ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंध समिति के **मार्गदर्शन** में समारोह पूर्वक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

द्वितीय चरण :–

- ○ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली शेष समस्त पाठ्य पुस्तकों को दिनांक–13 जुलाई, 2012 तक ब्लाक संसाधन केन्द्रों अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा चिह्नित भण्डार स्थल तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- ○ संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी:–
  - ✓ **दिनांक–18 जुलाई, 2012 तक** 30 सितम्बर, 2011 की छात्रसंख्या के अनुसार विद्यालयवार पाठ्य पुस्तकों के सेट तैयार करेंगे।
  - ✓ **दिनांक–20 जुलाई, 2012** तक अपने विकासखण्ड/ नगर क्षेत्र के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भाषा (हिन्दी), विज्ञान एवं गणित की समस्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायेंगे।
  - ✓ समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **दिनांक–20 जुलाई, 2012** को ग्राम शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंध समिति/जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोह पूर्वक शेष बची हुई निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

4. पाठ्य पुस्तकों के भुगतान की व्यवस्था

प्रथम चरण :–

- ○ **दिनांक–25 जून, 2012 तक** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम चरण में प्राप्त होने वाली समस्त पाठ्य पुस्तकों के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान संबंधित मुद्रकों/प्रकाशकों को सुनिश्चित करेंगे।

द्वितीय चरण :–

- ○ **दिनांक–15 जुलाई, 2012 तक** जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली समस्त पाठ्य पुस्तकों के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान संबंधित मुद्रकों/प्रकाशकों को सुनिश्चित करेंगे।

तृतीय चरण :–

- ○ जनपदीय सत्यापन समिति की आख्या और राज्य स्तर से प्रेषित कागज की जांच आख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नियमानुसार कटौती करके **दिनांक–10 अगस्त, 2012 तक** अवशेष धनराशि के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

5. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समायोजन

- शैक्षिक सत्र 2012–13 में वास्तविक नामांकन के आधार पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जायेगा। इसके लिए विद्यालय का प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होगा।
- यदि किसी विद्यालय में आपूर्तित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से कम संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन होता है तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रथम चरण की बची हुई पाठ्य पुस्तकें **दिनांक–7 जुलाई, 2012** को तथा द्वितीय चरण की बची हुई पाठ्य पुस्तकें **दिनांक–22 जुलाई, 2012** को अपनी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर जमा कर दी जायेगी।
- इसी प्रकार यदि किसी विद्यालय में आपूर्तित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से अधिक संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन होता है तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपनी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से प्रथम चरण की बढ़ी हुई संख्या के अनुसार पाठ्य पुस्तकें **दिनांक–8 जुलाई, 2012** को प्राप्त करके **दिनांक–9 जुलाई, 2012** को तथा द्वितीय चरण की बढ़ी हुई संख्या के अनुसार पाठ्य पुस्तकें **दिनांक–23 जुलाई, 2012** को प्राप्त करके **दिनांक–24 जुलाई, 2012** विद्यार्थियों को वितरित की जायेंगी।
- दिनांक–31 जुलाई, 2012 को समस्त न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक इस प्रकार समायोजित पाठ्य पुस्तकों का लेखा–जोखा और बची हुई पाठ्य पुस्तकें ब्लाक संसाधन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

6. लाभार्थियों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना का प्रचार–प्रसार

- भिन्न–भिन्न चरणों में आपूर्त/वितरित की जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की उक्त समय सारणी बेसिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रचार–प्रसार के माध्यमों से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की योजना और वितरण की समय–सारणी से समस्त लाभार्थी वर्ग को सत्रारम्भ के पहले से ही अवगत करायेंगे ताकि कोई भी विद्यार्थी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बाजार से क्रय करने हेतु बाध्य न हो।
- सत्रारम्भ के साथ ही खण्ड शिक्षा अधिकारी भी अपने विकासखण्ड/नगर क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की समय–सारणी से विद्यालय प्रबंध समिति/ग्राम शिक्षा समिति/विकास खण्ड शिक्षा समिति एवं समस्त लाभार्थी वर्ग को अवगत करायेंगे कि सभी परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों/मदरसों के विद्यार्थियों को निःशुल्क

पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि कोई भी विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकें बाजार से क्रय करने हेतु बाध्य न हो।

7. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु परिवहन व्यवस्था

- अभी तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को विकासखण्ड स्तर तक भेजा जाता था तथा इसके परिवहन पर आने वाले व्यय का वहन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मद में बची हुई धनराशि से किया जाता था। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा आवश्यकतानुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करके विद्यार्थियों को वितरित की जाती थी तथा इसके परिवहन पर आने वाले व्यय का वहन विद्यालय विकास मद की धनराशि से किया जाता था।
- आर0टी0ई0–2009 के आलोक में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होने के कारण अब विद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित मद में धनराशि उपलब्ध नहीं है। अतः इस वर्ष से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की ढुलाई विद्यालय स्तर तक की जायेगी तथा पाठ्य पुस्तकों की ढुलाई पर होने वाले व्यय का वहन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मद में बची हुई धनराशि से किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकों की जिला स्तर से विद्यालय तक ढुलाई की दरे निम्न समिति द्वारा अनुमोदित की जायेंगी :–
    - जिलाधिकारी – अध्यक्ष
    - मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
    - क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी – सदस्य
    - जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अन्य सदस्य – सदस्य
    - सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा – सदस्य
    - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव

8. कार्यपुस्तिकाओं के वितरण की व्यवस्था

- निःशुल्क कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति **दिनांक 25 जुलाई, 2012 तक** जनपदों में होगी। कार्यपुस्तिकाओं के सत्यापन और वितरण की व्यवस्था निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप ही होगी। तदनुसार कार्यपुस्तिकाओं को सत्यापनोपरान्त **दिनांक–30 जुलाई, 2012 तक** विद्यार्थियों को वितरित किया जायेगा।